मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खंड XX अंक 7 अक्तूबर 2024

एमसीआईआर

विषय-वस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. विनियमन	3
III. भुगतान और निपटान प्रणाली	3
IV. वित्तीय बाज़ार	3
V. मुद्रा जारीकर्ता	3-4
VI. प्रकाशन	4
VII. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

ऐसे दौर में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले की तरह आपस में जुड़ी हुई है, नवीनतम घटनाक्रमों से अवगत रहना पहले से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मौद्रिक नीति वक्तव्य और महत्वपूर्ण नीतिगत पहल को कवर करने वाले मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के अक्टूबर 2024 संस्करण में आपका स्वागत है। हम तथ्यपरक सटीक सूचना निरंतर साझा करने, गहन समझ को बढ़ावा देने और संपर्क में बने रहने के अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध हैं। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है। हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

पुनीत पंचोली
संपादक

I. मौद्रिक नीति

9 अक्तूबर 2024 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने 9 अक्तूबर 2024 को मौद्रिक नीति वक्तव्य दिया। अपने आरंभिक भाषण में गवर्नर ने उल्लेख किया कि लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफ़आईटी) ढांचे को 2016 में शुरू किए जाने के बाद से 8 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारत में 21वीं सदी के एक प्रमुख संरचनात्मक सुधार के रूप में, यह निर्णय लेने के लिए समिति के दृष्टिकोण, नीति निर्माण प्रक्रिया और संचार की पारदर्शिता, मात्रात्मक रूप से परिभाषित मुद्रास्फीति लक्ष्य पर निर्भर जवाबदेही और परिचालनगत स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में यह ढांचा विभिन्न ब्याज दर चक्रों और मौद्रिक नीति रुखों के अनुरूप परिपक्व हुआ है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखने का निर्णय लिया, तथा संवृद्धि को समर्थन देते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाने के लिए अपने रुख को 'तटस्थ' किया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर बात करते हुए गवर्नर ने कहा कि एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था आघात-सह बनी हुई है, हालांकि भू-राजनीतिक संघर्षों, भू-आर्थिक विखंडन, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और बढ़े हुए सार्वजनिक ऋण के कारण अधोगामी जोखिम अभी भी बनी हुई है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी के संकेत दिख रहे हैं, जबकि सेवा गतिविधि में तेजी बनी हुई है और विश्व व्यापार में सुधार देखने को मिल रहा है। कम ऊर्जा कीमतों के कारण मुद्रास्फीति में नरमी आ रही है। विभिन्न देशों में मुद्रास्फीति-संवृद्धि गतिकी में बढ़ते अंतर के कारण मौद्रिक नीति संबंधी अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ हो रही हैं।

मौद्रिक नीति के लिए मुद्रास्फीति और संवृद्धि की इन स्थितियों का क्या मतलब है

गवर्नर ने कहा कि एमपीसी की अगस्त की बैठक के बाद से हुए घटनाक्रमों से लक्ष्य की ओर टिकाऊ अवस्फीति को साकार करने की दिशा में आगे की प्रगति का संकेत मिलता है। खाद्य कीमतों से मुद्रास्फीति में निकट अवधि में बढ़ोतरी के बावजूद, विकसित हो रही घरेलू मूल्य स्थिति उसके बाद हेडलाइन मुद्रास्फीति में नरमी का संकेत देती है। खरीफ और रबी उत्पादन की संभावनाओं में सुधार के साथ कृषि फसल की संभावना अनुकूल होती जा रही है। इन कारकों से खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में कमी आ सकती है, लेकिन यह आशावाद मौसम संबंधी आघातों, यदि कोई हो, के अधीन है।

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ

चलनिधि और वित्तीय बाज़ार की स्थितियों पर चर्चा करते हुए गवर्नर ने कहा कि सरकारी व्यय में वृद्धि और संचलन में मौजूद मुद्रा में गिरावट के कारण अगस्त-सितंबर और अक्तूबर की शुरुआत में प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रही। हालांकि, सितंबर के उत्तरार्ध के दौरान कर संबंधी बहिर्वाह के कारण सरकारी नकदी शेष में वृद्धि के साथ चलनिधि की स्थिति थोड़े समय के लिए घाटे में चली गई थी। चलनिधि की बदलती स्थितियों के अनुरूप, रिज़र्व बैंक ने अंतर-बैंक एकदिवसीय दर को नीतिगत रेपो दर के साथ संरेखित करने के लिए सक्रिय रूप से दो-तरफ़ा परिचालन किया।

वित्तीय स्थिरता

गवर्नर ने कहा कि बैंकों और एनबीएफसी के स्वास्थ्य मानदंड मजबूत बने हुए हैं। हाल ही में कुछ असुरक्षित ऋण खंडों जैसे उपभोग प्रयोजनों के लिए ऋण, सूक्ष्म वित्त ऋण और क्रेडिट कार्ड बकाया में तनाव बढ़ने की संभावना पर कुछ टिप्पणियां की गई हैं। रिज़र्व बैंक प्राप्त सूचनाओं पर बारीकी से नज़र रख रहा है और आवश्यकतानुसार कदम उठाएगा। बैंकों और एनबीएफसी को, अपनी ओर से, इन क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत ऋणों का आकार और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

बाह्य क्षेत्र

गवर्नर ने कहा कि उच्च व्यापार घाटे के कारण भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) 2024-25 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 1.1 प्रतिशत हो गया। सेवा निर्यात में उछाल और मजबूत प्रेषण प्राप्तियां से उम्मीद है कि सीएडी को टिकाऊ स्तर के भीतर रखा जाएगा। बाहरी वित्तपोषण पक्ष पर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) प्रवाह में अप्रैल-मई 2024 में 4.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध बहिर्वाह से जून-अक्तूबर (7 अक्तूबर 2024 तक) के दौरान 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शुद्ध अंतर्वाह में बदलाव देखा गया है। 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह मजबूत बना रहेगा क्योंकि सकल और शुद्ध एफडीआई प्रवाह दोनों में सुधार हुआ है। पूर्ण विवरण पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एमपीसी का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 9 अक्तूबर 2024 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया है कि चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर यथावत् रखा जाए।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर यथावत् बनी हुई है।

एमपीसी ने मौद्रिक नीति के रुख को बदलकर 'तटस्थ' करने तथा संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ टिकाऊ आधार पर संरेखित करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। ये निर्णय संवृद्धि को समर्थन देते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और (ii) भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

i) विनियमन

1. जिम्मेदार ऋण आचरण – ऋणों पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाना

मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों और एनबीएफसी को कारोबार के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए, सह-बाध्यताकारी(बाध्यताकारियों) के साथ या उनके बिना, व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को स्वीकृत किसी भी अस्थायी दर मीयादी ऋण पर पुरोबंध प्रभार/ पूर्व भुगतान दंड लगाने की अनुमति नहीं है। बेहतर पारदर्शिता और ऋणदाताओं द्वारा ग्राहक केन्द्रीकरण के माध्यम से ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, ऐसे विनियमों के दायरे को व्यापक बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को दिए जाने वाले ऋणों को भी इसमें शामिल किया जा सके। इस संबंध में परिपत्र का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।

2. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर चर्चा पत्र

बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए शेयर पूंजी और प्रतिभूतियों के निर्गम और विनियमन पर प्रारंभिक दिशानिर्देशों का संकलन 2022 में जारी किया गया था। तथापि, इन दिशानिर्देशों में नव सक्षम पूंजी संबंधी प्रावधान, यथा, विशेष शेयर जारी करना, प्रीमियम पर शेयर जारी करना आदि, जो सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए नए हैं, शामिल नहीं थे। श्री एन.एस.विश्वनाथन, भूतपूर्व उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट ने इन प्रावधानों पर अपनी सिफारिशों के माध्यम से व्यापक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान किए थे।नव सक्षम पूंजी संबंधी प्रावधानों पर विशेषज्ञ समिति की व्यापक-आधारित सिफारिशों को परिचालनगत बनाने के लिए रिज़र्व बैंक में एक कार्य दल का गठन किया गया। कार्य दल की सिफारिशों के आधार पर, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के लिए पूंजी जुटाने के अवसरों पर एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा ताकि हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव प्राप्त किए जा सकें।

3. रिज़र्व बैंक जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) का निर्माण

जलवायु परिवर्तन, वित्तीय प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक के रूप में उभर रहा है। विनियमित संस्थाओं के लिए अपने तुलन-पत्र और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जलवायु जोखिम का आकलन करना महत्वपूर्ण है। इस तरह के आकलन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, स्थानीय जलवायु परिदृश्यों, जलवायु पूर्वानुमानों और उत्सर्जन से संबंधित उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की आवश्यकता होती है। उपलब्ध जलवायु संबंधी आंकड़ों में विभिन्न अंतराल हैं, जैसे खंडित और विविध स्रोत, भिन्न प्रारूप, आवृत्तियां और इकाइयां। इन अंतरालों को कम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने एक डेटा भंडार बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसका नाम रिज़र्व बैंक - जलवायु जोखिम सूचना प्रणाली (आरबी-सीआरआईएस) है, जिसमें दो भाग शामिल होंगे। पहला भाग एक वेब-आधारित डायरेक्टरी होगी, जिसमें विभिन्न डेटा स्रोतों (मौसम विज्ञान, भू-स्थानिक, आदि) की सूची होगी, जो रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। दूसरा भाग डेटा पोर्टल होगा जिसमें डेटासेट (मानकीकृत प्रारूपों में संसाधित डेटा) शामिल होंगे। इस डेटा पोर्टल तक पहुँच, चरणबद्ध तरीके से केवल विनियमित संस्थाओं को ही उपलब्ध कराई जाएगी।

ii) भुगतान प्रणालियाँ

4. यूपीआई - सीमा में वृद्धि:

यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, यूपीआई के निम्नलिखित उत्पादों की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है:

i) यूपीआई123पे: यूपीआई123 की मार्च 2022 में शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य फीचर-फोन उपयोगकर्ताओं को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाना था। यह सुविधा अब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। वर्तमान में, यूपीआई123पे में प्रति-लेनदेन सीमा ₹5000 तक सीमित है। उपयोग के मामलों को व्यापक बनाने के लिए, हितधारकों के परामर्श से, प्रति-लेनदेन सीमा को बढ़ाकर ₹10,000 करने का निर्णय लिया गया है। एनपीसीआई को शीघ्र ही आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

ii) यूपीआई लाइट: वर्तमान में प्रति लेनदेन ₹500 की सीमा और प्रति यूपीआई लाइट वॉलेट ₹2000 की समग्र सीमा लागू है, जिसमें स्व-पुन:पूर्ति (ऑटो-रिप्लेनिशमेंट) की सुविधा भी शामिल है। इस उत्पाद के उपयोग के दायरे को बढ़ाने के लिए, अब यूपीआई लाइट वॉलेट की सीमा को बढ़ाकर ₹5,000 और प्रति लेनदेन सीमा को बढ़ाकर ₹1,000 करने का निर्णय लिया गया है। ऑफलाइन डिजिटल मोड में छोटे मूल्य के भुगतान की सुविधा के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ढांचे, जिसके अंतर्गत यूपीआई लाइट को सक्षम बनाया गया है, में उचित संशोधन किया जाएगा।

5. लाभार्थी खाता नाम देखने की सुविधा की शुरुआत

यूपीआई और आईएमपीएस जैसी भुगतान प्रणालियां, भुगतान लेनदेन शुरू करने से पहले विप्रेषक को प्राप्तकर्ता (लाभार्थी) का नाम सत्यापित करने की सुविधा प्रदान करती हैं। तत्काल सकल निपटान प्रणाली (आरटीजीएस) और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) प्रणालियों के लिए ऐसी सुविधा शुरू करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार, आरटीजीएस और एनईएफटी में धन विप्रेषकों को धन अंतरण करने से पहले लाभार्थी खाताधारक के नाम को सत्यापित करने में सक्षम बनाने के लिए, अब 'लाभार्थी खाता नाम देखने की सुविधा' शुरू करने का प्रस्ताव है। धन विप्रेषक द्वारा लाभार्थी का खाता नंबर और शाखा आईएफएससी कोड दर्ज करने के बाद लाभार्थी का नाम प्रदर्शित हो जाएगा। इस सुविधा से ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा क्योंकि इससे गलत जमा और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति की 51वीं बैठक 7 से 9 अक्तूबर 2024 के दौरान आयोजित की गई।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक ने 23 अक्तूबर 2024 को, अर्थात् एमपीसी की बैठक के 14वें दिन, बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया।

एमपीसी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपभोक्ता विश्वास, परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा, कॉर्पोरेट क्षेत्र के निष्पादन, ऋण की स्थिति, औद्योगिक, सेवाओं और आधारभूत संरचना क्षेत्रों की संभावनाएं और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के अनुमानों का आकलन करने के लिए किए गए सर्वेक्षणों की समीक्षा की। एमपीसी ने इन

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 611वीं बैठक

भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय निदेशक बोर्ड की 611वीं बैठक 16 अक्तूबर 2024 को भुवनेश्वर में श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड के पूर्व निदेशक श्री रतन एन. टाटा की स्मृति में एक शोक प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय बोर्ड के सदस्यों ने आगामी सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 के उपलक्ष्य में सत्यनिष्ठा की शपथ भी ली।

बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक और वित्तीय स्थिति की समीक्षा की, जिसमें उभरते भू-राजनीतिक संघर्षों से उत्पन्न चुनौतियाँ भी शामिल थीं। बोर्ड ने केंद्रीय बोर्ड की विभिन्न उप-समितियों के कामकाज, लोकपाल योजना और चुनिंदा केंद्रीय कार्यालय विभागों की गतिविधियों पर भी चर्चा की।

उप गवर्नर डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, श्री एम. राजेश्वर राव, श्री टी. रबी शंकर, श्री स्वामीनाथन जे. और केंद्रीय बोर्ड के अन्य निदेशक - श्री सतीश के. मराठे, श्रीमती रेवती अय्यर, प्रो. सचिन चतुर्वेदी, और डॉ. रवींद्र एच. ढोलकिया ने बैठक में भाग लिया। श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और श्री नागराजू मद्दीराला, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने भी बैठक में भाग लिया।

संभावनाओं के विभिन्न जोखिमों के इर्द-गिर्द स्टाफ के समष्टि आर्थिक अनुमानों और वैकल्पिक परिदृश्यों की विस्तृत रूप से भी समीक्षा की। उपर्युक्त पर और मौद्रिक नीति के रुख पर व्यापक चर्चा करने के बाद एमपीसी ने संकल्प अपनाया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

कारोबार के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन

रिज़र्व बैंक ने 4 अक्तूबर 2024 को 'कारोबार के स्वरूप और निवेश के लिए विवेकपूर्ण विनियमन' संबंधी परिपत्र का मसौदा जारी किया। परिपत्र के मसौदे पर बैंकों और अन्य हितधारकों से 20 नवंबर 2024 तक टिप्पणियाँ आमंत्रित की गई हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस)

रिज़र्व बैंक ने 9 अक्तूबर 2024 को घोषणा की कि भारत सरकार ने दिनांक 30 सितंबर 2024 के ट्रेड नोटिस सं. 18/2024-2025 द्वारा पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात रुपया निर्यात ऋण ('योजना') पर ब्याज समतुल्यीकरण योजना को दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक तीन महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति, योजना में निम्नलिखित संशोधनों के साथ दी है: ए) प्रत्येक एमएसएमई का राजकोषीय लाभ, समग्र रूप से, दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ₹50 लाख तक सीमित रहेगा, बी) तदनुसार, एमएसएमई निर्माता निर्यातक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 सितंबर 2024 तक पूर्व में ₹50 लाख अथवा उससे अधिक का समतुल्यीकरण लाभ प्राप्त कर लिया है, वह बढ़ी हुई अवधि में किसी भी अन्य लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आंतरिक जोखिम मूल्यांकन मार्गदर्शन

रिज़र्व बैंक ने 10 अक्तूबर 2024 को 'धन शोधन/ आतंकवादी वित्तपोषण के लिए आंतरिक जोखिम मूल्यांकन' पर मार्गदर्शन नोट की घोषणा की। यह मार्गदर्शन नोट रिज़र्व बैंक की विनियमित संस्थाओं (आरई), विशेष रूप से डीलिंग स्टाफ़ और विनियमित संस्थाओं के धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी)/प्रसार वित्तपोषण का मुकाबला (सीपीएफ) करने वाले व्यक्तियों के लिए है। इसका उद्देश्य विनियमित संस्थाओं के एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ अनुपालन प्रयासों का समर्थन करना है, साथ ही कुछ प्रमुख सिद्धांत, कार्यप्रणाली आदि के माध्यम से एमएल/टीएफ/पीएफ का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए वित्तीय क्षेत्र की क्षमता को सुदृढ़ करना है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

एनबीएफसी के विरुद्ध कार्रवाई

रिज़र्व बैंक ने 17 अक्तूबर 2024 को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल(1)(बी) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित एनबीएफसी को 21 अक्तूबर 2024 की कारोबार समाप्ति से ऋण की स्वीकृति और संवितरण बंद करने संबंधी निदेश जारी किए हैं: i) आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, ii) आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, iii) डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और iv) नवी फिनसर्व लिमिटेड। ये निदेश संबंधित एनबीएफसी को रिज़र्व बैंक के विस्तृत पर्यवेक्षी आदेशों के माध्यम से सूचित कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई इन कंपनियों की मूल्य निर्धारण नीति में उनके भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएएलआर) और उनके निधियों की लागत पर प्रभारित ब्याज पर स्प्रेड के संदर्भ में पाई गई भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं पर आधारित है, जो अत्यधिक पाई गई हैं तथा आरबीआई द्वारा निर्धारित विनियमों के अनुरूप नहीं हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियां

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्तूबर 2024 को भुगतान प्रणाली सहभागियों (पीएसपी) अर्थात बैंकों और अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाताओं को दिव्यांग व्यक्तियों की पहुँच के संदर्भ में अपनी भुगतान प्रणाली/ डिवाइस की समीक्षा करने हेतु सूचित किया। समीक्षा के आधार पर, वे आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, ताकि उनकी सभी भुगतान प्रणाली और डिवाइस, जैसे पॉइंट-ऑफ़-सेल मशीन, दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा आसानी से उपयोग की जा सकें। इस संबंध में, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सुलभता मानकों का भी सभी पीएसपी द्वारा, जहां लागू हो, पालन किया जाए। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. वित्तीय बाज़ार

भारतीय रिज़र्व बैंक (एनडीएस-ओएम हेतु पहुँच मानदंड) निदेश, 2024

रिज़र्व बैंक ने 18 अक्तूबर 2024 को एनडीएस-ओएम प्लेटफ़ॉर्म के लिए पहुँच मानदंड संशोधित किए। एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच का विस्तार विनियमित संस्थाओं के व्यापक समूह तक किया गया है और इन निदेशों के अंतर्गत या समय-समय पर संशोधित भुगतान प्रणालियों के लिए पहुँच मानदंड पर मास्टर निदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। ये निदेश रिज़र्व बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्ल्यू के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में उसे सक्षम करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. मुद्रा जारीकर्ता

₹2000 मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेना

रिज़र्व बैंक ने 4 नवंबर 2024 को ₹2000 मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की वापस लेने की स्थिति जारी की। आंकड़ों के अनुसार, 31 अक्तूबर 2024 को कारोबार की समाप्ति पर संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक

उप गवर्नर की पुनः नियुक्ति

केंद्र सरकार ने श्री एम. राजेश्वर राव को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पुनः नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 9 अक्तूबर 2024 से एक वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी।

नोटों का कुल मूल्य घटकर ₹6970 करोड़ रह गया। इस प्रकार, 19 मई 2023 तक संचलन में मौजूद ₹2000 के बैंक नोटों में से 98.04 प्रतिशत वापस आ चुके हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VI. प्रकाशन

सामयिक और वर्किंग पेपर

रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2024 को 'भारत में मौद्रिक नीति संचरण और श्रम बाज़ार' शीर्षक से डीआरजी अध्ययन जारी किया। इस अध्ययन का सह-लेखन चेतन घाटे, सतादू दास, देवज्योति मजूमदार, श्रीरूपा सेनगुप्ता और सत्यार्थ सिंह ने किया है। अध्ययन में यह पता लगाया गया है कि भारत के श्रम बाज़ारों में अनौपचारिकता, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के अंतर्गत मौद्रिक नीति संचारण को कैसे प्रभावित करती है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिज़र्व बैंक ने 3 अक्तूबर 2024 को चार वर्किंग पेपर जारी किए:

i) ***भारत में पशुधन और मुर्गीपालन (पॉल्ट्री) मुद्रास्फीति - दूध, मुर्गीपालन मांस और अंडे का एक अध्ययन*** श्यामा जोस, मनीष कुमार प्रसाद, सबर्नी चौधरी, बिनोद बी. भोई, विमल किशोर, हिमानी शेखर और अशोक गुलाटी द्वारा। इस अध्ययन में दूध, मुर्गीपालन मांस और अंडों की मूल्य शृंखला और इसमें शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं का आकलन किया गया है, ताकि मूल्य गतिकी का विश्लेषण करने के लिए मासिक तुलन-पत्र चर की गणना की जा सके और पशुधन और मुर्गीपालन उत्पादन और मुद्रास्फीति में अस्थिरता को कम करने के उपायों की पहचान की जा सके। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

ii) ***भारत में फलों की मूल्य गतिकी और मूल्य शृंखला - अंगूर, केला और आम का एक अध्ययन*** राया दास, रंजना रॉय, संचित गुप्ता, संजीब बोरदोलोई, ऋषभ कुमार, रंजीत मोहन और अशोक गुलाटी द्वारा। वर्तमान अध्ययन तीन फलों (अंगूर, केला और आम) के मूल्य-शृंखला ढांचे और मूल्य गतिकी पर उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

iii) ***भारत में दालों की मुद्रास्फीति - चना, अरहर और मूंग का एक अध्ययन*** श्यामा जोस, संचित गुप्ता, मनीष कुमार प्रसाद, संदीप दास, आशीष थॉमस जॉर्ज, थंगज़ासन सोना, डी. सुगंथी और अशोक गुलाटी द्वारा। वर्तमान अध्ययन वास्तविक समय के आधार पर इन दालों में से प्रत्येक की मांग-आपूर्ति अंतर का मूल्यांकन करने के लिए एक गतिशील मासिक तुलन-पत्र बनाता है और दाल मूल्य शृंखला में किसानों, व्यापारियों और प्रसंस्करणकर्ताओं जैसे प्रमुख हितधारकों द्वारा प्रदान किए गए इनपुट और आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करके चयनित दालों के एसटीयू अनुपात की गणना करता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

iv) ***भारत में सब्जियों की मुद्रास्फीति - टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) का एक अध्ययन*** रंजना रॉय, संचित गुप्ता, हर्ष वर्धन, सुवेंदु सरकार, सौमश्री तिवारी, रोहन बंसल, शैलजा भाटिया और अशोक गुलाटी द्वारा। इस अध्ययन में एआरडीएल ढांचे में टीओपी कीमतों के प्रमुख निर्धारकों की पहचान करने और समय शृंखला मॉडल का उपयोग करके मासिक खुदरा मुद्रास्फीति का अल्पकालिक मूल्य पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया गया है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

रिपोर्ट – माइबोर बेंचमार्क

रिज़र्व बैंक ने 1 अक्तूबर 2024 को माइबोर बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट जारी की। समिति का गठन देश में मौजूदा रुपया ब्याज दर बेंचमार्क की गहन समीक्षा करने, अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन करने, वैकल्पिक बेंचमार्क में बदलाव की आवश्यकता सहित माइबोर बेंचमार्क दर से संबंधित मुद्दों की जांच करने और सबसे उपयुक्त आगे की राह सुझाने के लिए किया गया था। दिनांक 5 अगस्त 2022 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्याज दर बेंचमार्क की समीक्षा करने के लिए मुंबई अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (माइबोर) बेंचमार्क पर एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें माइबोर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और ब्याज दर बेंचमार्क से जुड़े विकास, उपयोग और संक्रमण में अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों का अध्ययन किया जाएगा। संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के अनुसार, समिति ने आईआरडी बाजार को और विकसित करने तथा ब्याज दर बेंचमार्क दरों की विश्वसनीयता में सुधार करने के लिए सिफारिशें प्रदान की हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 21 अक्तूबर 2024 को अपने मासिक बुलेटिन का अक्तूबर 2024 अंक जारी किया। बुलेटिन में 9 अक्तूबर 2024 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, छह भाषण, सात आलेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। सात आलेख इस प्रकार हैं:

i) अर्थव्यवस्था की स्थिति;
ii) भारत में मौद्रिक नीति संचरण: हालिया अनुभव;
iii) भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का तात्कालिक अनुमान: मशीन लर्निंग के माध्यम से मूल्य और मूल्य से इतर संकेतों का लाभ उठाना;
iv) भारतीय बैंक कृत्रिम बुद्धिमता को कैसे अपना रहे हैं?;
v) कोविड-19 और भारत में एमएसएमई क्लस्टरों का कार्य-निष्पादन;
vi) भारत के लिए नकदी उपयोग संकेतक;
vii) नई डिजिटल अर्थव्यवस्था और उत्पादकता का विरोधाभास।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. जारी आंकड़े

अक्तूबर 2024 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	आंकड़े
1	दिनांक 4 अक्तूबर 2024, शुक्रवार को भारत में अनुसूचित बैंकों की स्थिति का विवरण
2	सितंबर 2024 के लिए समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश
3	2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए बैंक ऋण सर्वेक्षण
4	उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) – सितंबर 2024
5	परिवारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी सर्वेक्षण (आईईएसएच) – सितंबर 2024
6	2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक संभावना सर्वेक्षण
7	समष्टि आर्थिक सूचकांकों पर पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण – 90वें दौर का परिणाम
8	2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए सेवाएं और आधारभूत संरचना संभावना सर्वेक्षण
9	विनिर्माण क्षेत्र पर ओबीआईसीयूएस सर्वेक्षण - 2024-25 की पहली तिमाही

पुनीत पंचोली द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।